



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }

Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. क्यूएससी/एल - 7003085.3

Licence No. QSC/L-7003085.3

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants to:

अटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड,
नियामक भवन, अनुशक्ती नगर
मुंबई - 400 094

Atomic Energy Regulatory Board
Niyamak Bhavan, Anushaktinagar
Mumbai - 400 094

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस नवीकरण है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा आई एस/ आई एस ओ 9001 : 2008 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licence) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2008.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकरण किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 09 Nov 2015 to 08 Nov 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जासकेगा।

This licence shall be valid from 09 Nov 2015 to 08 Nov 2018* and may be renewed as prescribed in the Regulations.

सन् दो हजार सोलह के जनवरी माह के फरवरी दिनांक हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this Twenty Fifth day of January Two Thousand Sixteen.

* Subject to change over of
Certification to IS/ISO 9001:2015
before 22.09.2018.

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS





Q

M

S

लाइसेंस सं. क्यूएससी/एल- 7003085.3 की अनुसूची
Schedule to Licence No. QSC/L-7003085.3

जारी : अटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड, नियामक भवन, अनुशक्ती नगर, मुंबई - 400
094

Issued to: *Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan,
Anushaktinagar, Mumbai - 400 094*

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद/सेवाएँ/प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस नवीकरण किया गया है :

Products/Services/Processes with respect to which the firm has been granted the licence for Quality Management Systems Certification:

"Providing regulatory services, control processes for nuclear and radiation facilities by way of issue of consents, carrying out regulatory inspections and preparation & issue of regulatory documents to ensure that use of nuclear energy and ionizing radiations in the country do not cause undue hazard to workers, members of public and the environment."

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

